तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज राजेन्द्र वगैरह V/s राज. सरकार व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
29/8/24	पत्रावली पेश हुई। आवेदन प्रार्थी उपरा प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी उच्चैन (भरतपुर)	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उच्चैन(भरतपुर)

पीठासीन अधिकारीः— श्री विष्णु बंसल (आर.ए.एस)

प्रार्थना पत्र कमांकः— 19/2023

1. राजेन्द्र पुत्र यादराम
2. पपेन्द्र
3. सत्येन्द्र कुमार पुत्रान दीपचन्द जाति धाकड निवासी मुढेरा तह0 उच्चैन।

.....प्रार्थीगण

वनाम

1. तहसीलदार उच्चैन जिला भरतपुर
2. श्रीमान भू—प्रवन्ध अधिकारी महोदय भरतपुर।
3. शान्ति स्वरूप पुत्र करकोली जाति धाकड निवासी मुढेरा तह0 उच्चैन।

.....अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.ए.।

उपस्थितिः—

1. श्री दुलीचन्द शर्मा एडवोकेट

निर्णय

दिनांकः— 29/8/24

प्रार्थीगण के अभिभाषक ने यह प्रार्थना पत्र भू—राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत पेश कर निवेदन किया है कि आराजी हाल ख0नं0 1086 वाके ग्राम मुढेरा तहसील उच्चैन पर पुराने समय से ही आज तक वदस्तूर हम प्रार्थीगणं का कब्जा काश्त है और इसके तरफ पूर्व को स्थित आ0ख0नं0 1085 पर अप्रार्थी का कब्जा काश्त आज तक तभी से चला आ रहा है। परन्तु रिकार्ड में आ0ख0नं0 1086 की खातेदारी अप्रार्थी के नाम और ख0न0 1085 की खातेदारी प्रार्थीगण के नाम मौके पर कब्जा काश्त के विपरीत अदल वदल कर गलत दर्ज हो रही है इसके अलावा प्रार्थीगण की आराजी ख0नं0 1086 का सही रकवा 0.10है0 है जवकि रिकार्ड में 0.08है0 गलत दर्ज है तथा अप्रार्थी के कब्जा की आ0ख0नं0 1085 का सही रकवा 0.08है जवकि रिकार्ड में 0.10है0 गलत दर्ज है और नक्शा किश्तवार में तरमीम अदल वदल कर गलत चिह्नित है। दोनों विवादित आराजी हाल खसरा नम्बरान 1085 व 1086 साविक खसरा नम्बर 924 के भाग है इस साविक खसरा नम्बर 924 के तरफ पश्चिम के 0.12 विस्वा रकवा पर प्रार्थीगण का तथा तरफ पूर्व के 0.10 विस्वा रकवा पर अप्रार्थी का कब्जा काश्त रहा है और इसी प्रकार वदस्तूर आज तक चला आ रहा है। मूल साविक ख0नं0 1093/924 रकवा 0.12 विस्वा व 1094/924 रकवा 0.10 विस्वा वनाये गये थे परन्तु इनकी पुराने नक्शे में मुताविक कब्जा काश्त कोई तरमीम व सीमांकन नहीं किया था और मौके पर तरफ पश्चिम वाले 0.12 विस्वा रकवा पर प्रार्थीगण तथा पूर्व के 0.10 विस्वा रकवा पर अप्रार्थी वास्तविक रूप से आज तक काविज चले आ रहे है। सैटिलमेन्ट वर्ष 2005 के दौरान भू—प्रबन्ध विभाग के कर्मियों ने साविक ख0न0 1093/924 व 1094/924 की मौके पर कब्जा काश्त की

उपखण्ड अधिकारी
उच्चैन (भरतपुर)

उचित जांच पडताल किये बिना प्रार्थीगण के तरफ पश्चिम स्थित कब्जे काश्त की आराजी की खातेदारी खिलाफ मौका कब्जा अप्रार्थी के नाम हाल खसरा नम्बर 1086 की गलत दर्ज कर दी और इसके उलट अप्रार्थी के तरफ पूर्व को स्थित कब्जे काश्त की आराजी की खातेदारी खिलाफ मौका कब्जा हम प्रार्थीगण के नाम हाल ख0नं0 1085 की गलत दर्ज कर दी और इस प्रकार अदल बदल कर किये गये गलत खातेदारी इन्द्राजों के मुताविक ही नक्शा किश्तवार में हाल खसरा नम्बर 1085 व 1086 के रकवा की तरमीम गलत कर दी गई है। विवादित आराजी हाल खसरा नम्बर 1085 व 1086 की बाबत् रिकार्ड की शुद्धि हेतू प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र पेश किया है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 3 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। अप्रार्थी संख्या 1 ने जवाव पेश कर निवेदन किया है कि उक्त आराजी के सम्बन्ध में पटवारी हल्का से जांच कराई गई मुताबिक जांच वाद के सन्दर्भ में वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2075–78 में आराजी खसरा नम्वर 1085 रकबा 0.10है0 पुष्पेन्द्र, सत्येन्द्र कुमार पि. दीपचन्द राजेन्द्र पुत्र यादराम जाति धाकड के नाम दर्ज है एवं ख0नं0 1086 रकवा 0.08 है0 शांतिस्वरूप पुत्र करकोली जाति धाकड सा. देह खातेदार दर्ज रिकार्ड है, जबकि गत जमाबंदी संवत् 2070–73 में ख0नं0 1093/924 रकवा 0. 12 बीघा (नया ख0नं0 1085) पुष्पेन्द्र वगै0 के नाम एवं ख0नं0 1094/924 रकबा 0.10 बीघा (नया ख0न0 1086) शांतिस्वरूप पुत्र करकोली के नाम दर्ज है पुराना नक्शे की तरमीम में पश्चिम दिशा में 1093/924 और पूर्वी दिशा में 1094/924 दर्ज है जबकि नये नक्शे में पश्चिम में ख0नं0 1086 एवं पूर्व में 1085 दर्ज है।

अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया आभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि खसरा नम्बर 1085 व 1086 सैटलमैन्ट विभाग द्वारा राजस्व नक्शे में खिलाफ मौका एवं कब्जा तरमीम कर दिये है उक्त दोनो खसरा नम्बरान का पुराना नम्बर 924 एक ही था। सैटलमैन्ट जब आया तो किसी प्रकार का सीमांकन नहीं था जहां प्रार्थी का कब्जा है वहां अप्रार्थी की खातेदारी लिख दी है एवं जहां अप्रार्थी का कब्जा है वहां अप्रार्थी की खातेदारी लिख दी है। नक्शे को शुद्ध करवाये जाने का निवेदन किया है।

मेरे द्वारा विद्वान अभिभाषक प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं पत्रावली के साथ संलग्न राजस्व रिकार्ड आदि एवं तहसीलदार उच्चैन से प्राप्त जबाव का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 136 एल.आर.ए. पेश कर नक्शा शुद्धि की दादरसी चाही है। प्रार्थी द्वारा चाही गई दादरसी धारा 136 एल.आर.ए. के तहत दिया जाना सम्भव नहीं है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज किया जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

विष्णु बंसल (आर0ए0एस0)
उपखण्ड अधिकारी
उंच्चैन भरतपुर

उपखण्ड अधिकारी
उच्चैन (भरतपुर)